

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- जसाना
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी :- सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

वाद सं० : सन 2018

1. उग्रसेन पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. अरविन्द कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
3. सुशील कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. रामप्रताप पि०मु० मंगलाराम जाति जाट साकिन ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर ।
2. ओमकला पुत्री रामप्रताप पत्नि दलीप जाति जाट साकिन रामका तहसील रावतसर
3. पुष्पा पुत्री रामप्रताप पत्नि रामकुमार जाति जाट साकिन रामका तहसील रावतसर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट

उपस्थित : श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 18.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार - 2018") में पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन की कुल 0.9230हैक् चक 5 बी बारानी की कुल 3.7690हैक् चक 19 जेएसएन की कुल 9.9300हैक् भूमि जो वाद की मद संख्या 2 में दर्ज है वह पूर्व में वादीगण के दादा मोधूराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादीगण के पिता मंगलाराम के नाम से दर्ज हुई विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 जो वादीगण की बहने हैं ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 7 में दर्ज है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।

वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत - 2018 कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि में पैतृक जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिन्होंने आपसी सहमति से खाता विभाजन कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा मोधूराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवाद संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादीगण का कथन है उसकी बहन प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के द्वारा अपने हकों का त्याग किया हुआ वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने स्वीकार किया जा चुका है इसप्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि


1. वादी संख्या 1 उग्रसेन के पास चक 5 बी बारानी के प०न० 334/394(57) किला न० 1 ,10 ,11/0.7590हैक् , चक 19 जेएसएन के प०न० 332/394 (41) किला न० 14/0.2530 ,15/0.2150 ,16/.2150 ,17/.2530 ,24/.2530 ,25/0.2150 ,प०न०

333/394(40) किला न० 6/3 की 0.135हैक् , 11 ता 15/1.2650है कुल 2.804हैक् दोनो खातों/चकों की कुल 3.563हैक् भूमि रहेगी

2. वादी संख्या 2 अरविन्द कुमार के पास चक 19 जेएसएन के प०न० 332/394(41) किला न० 1 ता 4/1.020 , 5/0.2150 ,प०न० 333/394(40) किला न० 1 ता 5/1.2650हैक् 6/2 की 0.059हैक् 17 ,18/0.506हैक् 23 ता 24/0.506हैक् कुल 3.563हैक् भूमि रहेगी।
3. वादी संख्या 3 सुशीलकुमार के पास चक 19 जेएसएन के प०न० 332/394(41) किला न० 6/0.2150 ,7 ता 11/1.2650हैक् प०न० 333/394(40) किला न० 6/1 की 0.0590 ,7 ता 10 की 1.0120हैक् 19 ता 22 की 1.0120हैक् कुल 3.5630हैक् भूमि रहेगी।
4. प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप के पास चक 16 जेएसएन के प०न० 340/401 (28) किला न० 10/0.164 ,प०न० 337/398(6) किला न० 19/0.2530 ,20/0.2280 ,22/0.2530 ,मु०न० 88 किला न० 15/0.025हैक् खाला मु०न० 42/2 की 0.025हैक् गै०मु० रास्ता कुल 0.9230हैक् चक 5 बी बारानी के प०न० 338/395(62) किला न० 16/0.2277 ,17 ता 24/2.0240 , 25/0.2270 ,प०न० 336/398(105) किला न० 16/0.2277 ,17/0.2530 ,132/46 की 0.056हैक् गै०मु० रास्ता कुल 3.0100हैक् भूमि रहेगी व प०न० 336/398(6) के स्थान पर प०न० 337/398(6) संशोधन किया जाता है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रूप्ये पाच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।


शिविर प्रभासि
राजस्व लोक अदालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-जसाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- जसाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

वाद सं० : सन 2018

1. उग्रसेन पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. अरविन्द कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
3. सुशील कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. रामप्रताप पि०मु० मंगलाराम जाति जाट साकिन ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
2. ओमकला पुत्री रामप्रताप पत्नि दलीप जाति जाट साकिन रामका तहसील रावतसर
3. पुष्पा पुत्री रामप्रताप पत्नि रामकुमार जाति जाट साकिन रामका तहसील रावतसर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या सन 2018 निर्णय दिनांक- 18.05.2018

1. आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी संख्या 1 उग्रसेन के पास चक 5 बी बारानी के प०न० 334/394(57) किला न० 1, 10, 11/0.7590 हैक्, चक 19 जेएसएन के प०न० 332/394 (41) किला न० 14/0.2530, 15/0.2150, 16/.2150, 17/.2530, 24/.2530, 25/0.2150, प०न० 333/394(40) किला न० 6/3 की 0.135 हैक्, 11 ता 15/1.2650 है कुल 2.804 हैक् दोनो खातों/चकों की कुल 3.563 हैक् भूमि रहेगी
2. वादी संख्या 2 अरविन्द कुमार के पास चक 19 जेएसएन के प०न० 332/394(41) किला न० 1 ता 4/1.020, 5/0.2150, प०न० 333/394(40) किला न० 1 ता 5/1.2650 हैक् 6/2 की 0.059 हैक् 17, 18/0.506 हैक् 23 ता 24/0.506 हैक् कुल 3.563 हैक् भूमि रहेगी।
3. वादी संख्या 3 सुशीलकुमार के पास चक 19 जेएसएन के प०न० 332/394(41) किला न० 6/0.2150, 7 ता 11/1.2650 हैक् प०न० 333/394(40) किला न० 6/1 की 0.0590, 7 ता 10 की 1.0120 हैक् 19 ता 22 की 1.0120 हैक् कुल 3.5630 हैक् भूमि रहेगी।
4. प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप के पास चक 16 जेएसएन के प०न० 340/401 (28) किला न० 10/0.164, प०न० 337/398(6) किला न० 19/0.2530, 20/0.2280, 22/0.2530, मु०न० 88 किला न० 15/0.025 हैक् खाला मु०न० 42/2 की 0.025 हैक् गै०मु० रास्ता कुल 0.9230 हैक् चक 5 बी बारानी के प०न० 338/395(62) किला न० 16/0.2277, 17 ता 24/2.0240, 25/0.2270, प०न० 336/398(105) किला न० 16/0.2277, 17/0.2530, 132/46 की 0.056 हैक् गै०मु० रास्ता कुल 3.0100 हैक् भूमि रहेगी व प०न० 336/398(6) के स्थान पर प०न० 337/398(6) संशोधन किया जाता है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/- अखरे रूप्ये पाचं हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक अदालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोर्ट- जसाना